

पत्रांक:-3प/मु०-18-46/2026/521स्वीकृत/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द्र पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 17/9/2026

विषय:- CWJC No-5682/2025 सुकालू बिन्द बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-02.09.2026 द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में ग्राम पंचायत-भोखरी, प्रखंड-मोहनियाँ, जिला-कैमूर में क्रियान्वित मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना-1 के तहत बकाया राशि के भुगतान हेतु 55,81,317.00 (पचपन लाख इक्यासी हजार तीन सौ सतरह रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पत्रांक-2068, दिनांक-25.08.2026

आदेश:- स्वीकृत।

2. CWJC No-5682/2025 सुकालू बिन्द बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 02.09.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

As a matter of indulgence, finally time is granted till the next date of hearing to pay the amounts due. In case the amounts are not paid to the petitioner as directed by this Court on 28.07.2026, the Principal Secretary, Panchayati Raj Department, Government of Bihar, Patna shall be present in person before this Court.

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर से प्राप्त अधियाचना के आलोक में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना-1 के तहत ग्राम पंचायत-भोखरी, प्रखंड-मोहनियाँ, जिला-कैमूर में क्रियान्वित दस योजनाओं के राशि का भुगतान किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में भुगतान हेतु कुल 5581317.00 (पचपन लाख इक्यासी हजार तीन सौ सतरह रुपये) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड	ग्राम पंचायत	अधियाचित राशि	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	4	5
1.	कैमूर	मोहनियाँ	भोखरी	55,81,317.00	55,81,317.00
					कुल-55,81,317.00
(पचपन लाख इक्यासी हजार तीन सौ सतरह रुपये मात्र)					

अ.उ. सिंह

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0113-मुख्यमंत्री निश्चय योजना" मद के विषय शीर्ष-0113.31.05-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से वित्तीय वर्ष 2026-27 में की जाएगी। इसकी माँग संख्या-16 एवं विपत्र कोड-16-2515001980113 है।
5. उल्लेखनीय है कि उक्त राशि की स्वीकृति न्यायादेश के अनुपालन हेतु किया जा रहा है, जिसे उदाहरण के रूप में नहीं लिया जायेगा। इस राशि से याचिकाकर्ता को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराने की जवाबदेही जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर की होगी तथा राशि का व्यय अन्य किसी योजना हेतु नहीं की जायेगी।
6. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो CFMS के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करते हुए उक्त कडिका-3 में अंकित ग्राम पंचायत के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।
7. इस स्वीकृत राशि के निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।
8. संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी को यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायत के लिए स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। वित्त विभाग के संकल्प संख्या-573 दिनांक-16.01.1975 एवं एम० 04-15/2009-9736 दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम-271(ड) के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2017 के आलोक में राशि के निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. इस स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
11. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-34/मु०-18-46/2026 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-08/दि० पर दिनांक-12.09.2026 को प्राप्त है।

अ३

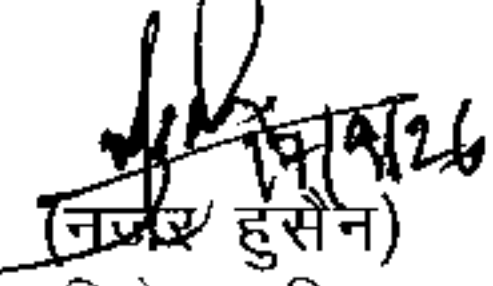
६



क०प०उ०

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार, सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-3प/मु०-18-46/2026 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-.....11...../टि० पर दिनांक-...17.09.26 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

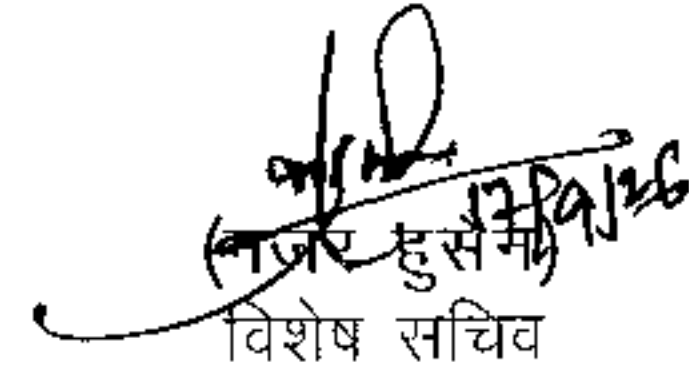

(नज़र हुसैन)

विशेष सचिव

पटना, दिनांक-17/9/2026

ज्ञापांक:- 3प/मु०-18-46/2026/...../प०रा०

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 3प/मु०-18-46/2026/...../प०रा०

पटना, दिनांक-17/9/2026

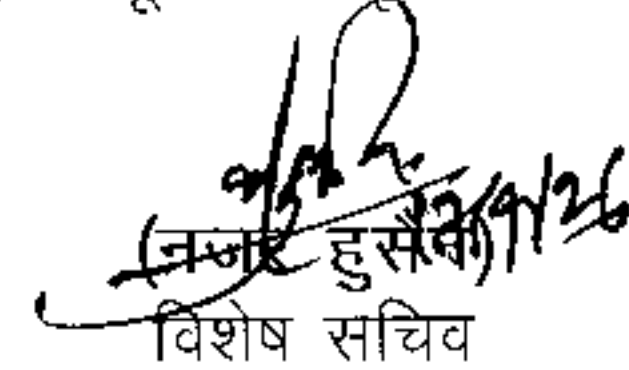
प्रतिलिपि:- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश की प्रति संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को उपलब्ध करायेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति इसकी प्रति ग्राम पंचायत-भोखरी को उपलब्ध करायेंगे।


(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 3प/मु०-18-46/2026/...../प०रा०

पटना, दिनांक-17/9/2026

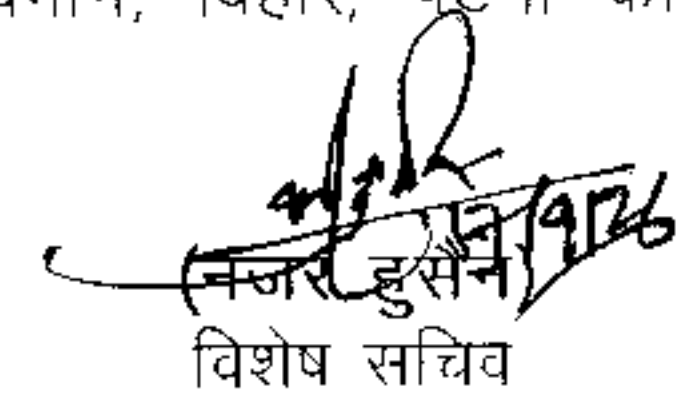
प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय उप निदेशक/उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 3प/मु०-18-46/2026/...../प०रा०

पटना, दिनांक-17/9/2026

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-05, प्रशाखा-06 एवं प्रशाखा-07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग)/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

अ३

६